

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56]

भोपाल, मंगलवार दिनांक 2 फरवरी 2021—माघ 13, शक 1942

महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2021

क्र. 285-2271-2020-पचास-2.—राज्य शासन द्वारा असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 9 नवम्बर 2020 द्वारा किशोर न्याय नियम, 2016 के नियम 87 के उपनियम के साथ वर्णित नियम 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के अशासकीय अध्यक्ष/सदस्यों के चयन हेतु माननीय न्यायाधीश श्री ए. के. सक्सेना, (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) मान. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश को राज्य स्तरीय चयन समिति में अध्यक्ष पद हेतु मनोनित किया गया था.

माननीय न्यायाधीश (से.नि.)श्री ए. के. सक्सेना द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर 2020 को त्यागपत्र दिया गया है. उनके स्थान पर माननीय न्यायाधीश श्री जी. एस. सोलंकी (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) मान. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश को मनोनित किया गया है.

No. 285-2271-2020-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-rule (1) of Rule 87 read with Rule 88 of the Juvenile Justice (Care and protection of children) Rules, 2016 Honorable Justice Shri A. K. Saxena (Retd.) High Court of Madhya Pradesh was nominated as chairperson of state level selection committee by State Government for the selection of non government Chairperson/Members of Juvenile Justice Board and Child Welfare Committee by the notification dated 9th November 2020 published in extraordinary Gazette.

Honorable Justice (Retd.) Shri A. K. Saxena has resigned on 15th December 2020. On his place, Honorable Justice Shri G. S. Solanki, (Retd. Judge) High Court of Madhya Pradesh has been nominated.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जगदीश चन्द्र जटिया, उपसचिव.